मतपेटी वाला दिन · पंच और सरपंच चुनाव · मतदान दल (मतदान अधिकारी, सहायक मतदान अधिकारी) और रिटर्निंग अधिकारी के लिए

मतपेटी वाले दिन कुछ गड़बड़ हो जाए तो

मतपत्र खराब हो जाए, कोई किसी और के नाम से वोट डाल जाए, पहचान या उम्र पर शक हो, कोई मतपत्र लेकर बाहर जाने लगे, दूसरी मतपेटी लगानी पड़े या मतपेटी से छेड़छाड़ हो: हर हालत में क्या करना है, कौन करेगा, और कागज़ किस लिफ़ाफ़े में जाएगा।

आधार: राज्य निर्वाचन आयोग की मार्गदर्शिका (जहाँ मतदान मतपेटी से होगा) 2026 · हर [] छूने पर मार्गदर्शिका उसी पेज पर खुलती है

✓ एक नज़र में: क्या हुआ, सबसे पहले क्या करें

	क्या हुआ	सबसे पहले क्या करें	कौन
1	मतपत्र गलती से खराब हो गया	दूसरा मतपत्र दें; खराब वाले की पीठ पर “खराब-रद्द” [पृ. 20] → 2	मतदान अधिकारी ख़ुद
2	मतदाता किसी को वोट न देना चाहे	मतपत्र लौटाने का नियम अब नहीं; मतपत्र पर नोटा है [पृ. 20] → 3	मतदाता ख़ुद चुनता है
3	मतपत्र लेकर वोट डालने का तरीका न माने	उसका मतपत्र रद्द किया जा सकता है (धारा 132-क) [पृ. 49] → 3	—
4	असली मतदाता बाद में आया, उसका वोट कोई और डाल गया	निविदत्त (टेंडर) मतपत्र; यह मतपेटी में नहीं जाता [पृ. 19] → 4	मतदान अधिकारी ख़ुद
5	कोई मतपत्र लेकर बाहर जाने लगे	बूथ छोड़ने से पहले गिरफ़्तार कर सकते हैं या पुलिस से करवा सकते हैं (धारा 135) [पृ. 50] → 5	मतदान अधिकारी
6	मतदाता की पहचान पर आपत्ति	सिर्फ़ पहले सहायक मतदान अधिकारी के पास, उसके बाद नहीं [पृ. 9] → 6	पहला सहायक मतदान अधिकारी
7	मतदाता की उम्र कम लगे	पहले धारा 18-क की सज़ा बताएँ, फिर परिशिष्ट-13 में घोषणा लें [पृ. 20] [21] → 7	मतदान अधिकारी
8	दृष्टिबाधित या दिव्यांग मतदाता	कहने पर मतदान अधिकारी साथ जाकर उसकी मर्ज़ी से वोट डालें; सूची में “AA” [पृ. 19] → 8	मतदान अधिकारी
9	बूथ पर कोई गड़बड़ करे या कहना न माने	बूथ से बाहर करें; पर किसी को वोट से रोकने के लिए नहीं (नियम 45) [पृ. 19] → 9	RO या मतदान अधिकारी
10	मतपेटी भर जाए, दूसरी लगानी पड़े	उसे भी ख़ाली दिखाएँ, घोषणा फिर से (परिशिष्ट-21 भाग-2); लेबल 1/2, 2/2 [पृ. 4] [19] [118] [18] → 11	मतदान अधिकारी
11	मतपेटी खराब हो, खो जाए, तोड़-फोड़ हो, या बूथ कैप्चरिंग	पूरी बात डायरी में; RO तुरंत ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को रिपोर्ट भेजें [पृ. 41] → 12	मतदान अधिकारी, फिर RO
12	छोटी-मोटी घटना	ऐसी रिपोर्ट नहीं; डायरी (परिशिष्ट-23-B) में सही जगह लिखें [पृ. 41] [21] → 13	मतदान अधिकारी

→ के आगे वाला नंबर इस PDF का हिस्सा है, जहाँ पूरा तरीका है। गिनती उसी दिन पंचायत मुख्यालय पर होती है [पृ. 21]।

1 मतदान से पहले: आगे की गड़बड़ यहीं रुकती है

मतपेटी

शुरू होने से करीब 15 मिनट पहले

- उम्मीदवारों और अभिकर्ताओं के सामने मतपेटी **ख़ाली करके दिखाइए** [पृ. 18] [19]
- पेपर सील पर अपने पूरे हस्ताक्षर; जो उम्मीदवार या अभिकर्ता चाहें, उनके भी [पृ. 18]
- परिशिष्ट-21 की घोषणा पढ़कर सुनाइए, हस्ताक्षर करवाइए; कोई न आए या हस्ताक्षर न करे, तो भी मतपेटी समय पर तैयार [पृ. 18]



ख़ाली मतपेटी, ढक्कन खुला · फ़ोटो: SLMT प्रशिक्षण सामग्री (मतदान अधिकारी), पेज 37

सील और लेबल

बंद करके सील

- खिड़की से दिखते पेपर सील पर “पं.रा.सं.”; खिड़की और सुराख़ के कवर तार और डोरे से बाँधकर सील [पृ. 18]
- पिंक पेपर सील: क्रम संख्या छपी, 10 इंच लंबी [पृ. 18]
- बाहर **सफ़ेद लेबल** (परिशिष्ट-28); एक ही मतपेटी हो तो 1/1 [पृ. 18] [131]



बंद मतपेटी · फ़ोटो: SLMT प्रशिक्षण सामग्री (मतदान अधिकारी), पेज 35

मतपत्र पर हस्ताक्षर: थोड़े-थोड़े

हर मतपत्र की पीठ पर मतदान अधिकारी के पूरे हस्ताक्षर और सुमित्रकारी चिह्न। सहूलियत से पहले भी कर सकते हैं, पर **एक समय में 50 से ज़्यादा** हस्ताक्षर किए मतपत्र न रहें; बाकी ज़रूरत के हिसाब से, ताकि मतदान ख़त्म होने पर ऐसे मतपत्र कम से कम बचें। [पृ. 9] सुमित्रकारी मुहर "पं.रा.स." पीठ पर, दाईं ओर ऊपर लगती है। [पृ. 16]

क्रमांक नाम के आगे; नंबर कोई और नोट न करे

हर मतदाता को दिए मतपत्र का क्रमांक चिह्नित प्रति में उसके नाम के आगे लिखिए; हर चुनाव की चिह्नित प्रति अलग होती है। [पृ. 9] उम्मीदवार या उनके अभिकर्ता मतपत्र का नंबर नोट नहीं कर सकते (नियम 39(3))। [पृ. 18]

बूथ पर कितने मतपत्र आते हैं

सरपंच (सफ़ेद मतपत्र)
बूथ के मतदाताओं की संख्या 100 के राउंड में: मतदाता **1012** हों तो **1100** मतपत्र [पृ. 15]

पंच (गुलाबी मतपत्र)
वार्ड के उस बूथ के मतदाता 10 के राउंड में: **312** हों तो **320** मतपत्र [पृ. 15] [16]

मतपत्र-लेखा (परिशिष्ट-26) की पहली मद में मिले मतपत्रों के क्रमांक (से-तक) और उनकी कुल संख्या लिखी जाती है। [पृ. 129]

2 मतपत्र गलती से खराब हो जाए

नियम 42: खराब और रद्द मतपत्र

मतदाता से मतपत्र गलती से खराब हो जाए, तो [पृ. 20]

1. उसे **दूसरा मतपत्र** दीजिए।
2. चिह्नित सूची में उसके नाम के आगे **दोनों नंबर** लिखिए: पहले वाले मतपत्र का भी, और बाद में दिए मतपत्र का भी।
3. खराब मतपत्र की पीठ पर **"खराब-रद्द"** लिखिए। यह काम मतदान अधिकारी ख़ुद करें।
4. उसे अलग लिफ़ाफ़े में रखिए: पंच का **P-13**, सरपंच का **P-12**। लिफ़ाफ़े सील होंगे। [परिशिष्ट-15, पृ. 110]

ध्यान रखिए

पंच और सरपंच के खराब मतपत्र **अलग-अलग लिफ़ाफ़ों** में जाते हैं; एक बूथ पर ऐसे हर पद का अपना लिफ़ाफ़ा बनता है। [पृ. 20]

मतपत्र-लेखा (परिशिष्ट-26) में **मद 4** उन मतपत्रों की है जो इस्तेमाल तो हुए पर मतपेटी में नहीं गए। [पृ. 129]

लिफ़ाफ़ों के नंबर परिशिष्ट-15 की तालिका और पृ. 23 की लिफ़ाफ़ा-सूची से हैं; पृ. 20 के पाठ में ये दोनों नंबर उलटे छपे हैं। ब्योरा: स्रोतों में फ़र्क, लिफ़ाफ़ों के नंबर [पृ. 23]

3 मतदाता किसी को वोट न देना चाहे, या तरीका न माने

मतपत्र "लौटाने" का नियम अब नहीं

पहले नियम 43 में था कि मतदाता निशान न लगाना चाहे तो मतपत्र वापस लेकर उसकी पीठ पर "लौटाया-निरस्त" लिखा जाए। अधिसूचना 1531, दिनांक 12.11.2014 से नियम 43 हटा दिया गया है, इसलिए बूथ पर अब ऐसी कोई कार्यवाही नहीं होगी। मतपत्र पर **नोटा (इनमें से कोई नहीं)** है; ऐसा मतदाता उसे चुन सकता है। [पृ. 20]

वोट डालने का तय तरीका मानने से मना करे

मतपत्र मिलने के बाद कोई तय तरीके से वोट डालने से मना करे, तो उसको दिया गया **मतपत्र रद्द किया जा सकता है** (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, धारा 132-क)। [पृ. 49] मतपत्र-लेखा (परिशिष्ट-26) की मद 4(क) का नाम है: "मतदान प्रक्रिया के अतिक्रमण के कारण रद्द किये गये मतपत्र"। [पृ. 129]

इस PDF में आई लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धाराएँ (131, 132, 132-क, 135) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 22 से पंचायत चुनाव पर भी लागू होती हैं। [पृ. 57] इन धाराओं के अंश मार्गदर्शिका के परिशिष्ट-2 में छपे हैं।

4 असली मतदाता बाद में आए: निविदत्त (टेंडर) मतपत्र

नियम 44: कोई और उसके नाम से वोट डाल चुका हो, और असली मतदाता बाद में आए [पृ. 19]

1. उसे **निविदत्त मतपत्र** देकर वोट डालने दीजिए।
2. पीठ पर मतदान अधिकारी ख़ुद **"निविदत्त मतपत्र"** लिखकर नीचे हस्ताक्षर करें।
3. क्रमांक: उस पद के मतपत्रों में **सबसे आख़िरी क्रमांक** से शुरू।
4. मतदाता वोटिंग कम्पार्टमेंट में निशान लगाकर मतपत्र **मतदान अधिकारी को दे देगा**, मतपेटी में नहीं डालेगा।
5. हर चुनाव का **अलग प्ररूप-6** (परिशिष्ट-9): कॉलम 4 में निविदत्त मतपत्र का क्रमांक; कॉलम 5 में उस व्यक्ति के मतपत्र का क्रमांक जो इसके नाम से पहले वोट डाल चुका; कॉलम 6 में निविदत्त वोट डालने वाले के हस्ताक्षर या अँगूठा निशानी।
6. चिह्नित सूची में उसके नाम के आगे **"TEND"** लिखिए।
7. निविदत्त मतपत्र **न मतपेटी में जाते हैं, न गिने जाते हैं**; सूची के साथ सील लिफ़ाफ़े में रखे जाते हैं। [पृ. 20] लिफ़ाफ़ा: पंच **P-17**, सरपंच **P-16**। [परिशिष्ट-15, पृ. 110] मतपत्र-लेखा में ये मद 4(ख) में आते हैं। [पृ. 129]

ये लिफ़ाफ़ा-नंबर परिशिष्ट-15 की तालिका से हैं; पृ. 20 और 23 के पाठ में पंच-सरपंच के नंबर उलटे छपे हैं। ब्योरा: स्रोतों में फ़र्क, लिफ़ाफ़ों के नंबर

5 कोई मतपत्र लेकर बाहर जाने लगे

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, धारा 135 [पृ. 50]

बूथ से मतपत्र बिना इजाज़त बाहर ले जाए, ले जाने की कोशिश करे, या इसमें जान-बूझकर मदद करे या उकसाए: एक साल तक की क़ैद, या ₹500 तक जुर्माना, या दोनों।

1. मतदान अधिकारी को ऐसा मानने का कारण हो, तो वे उसे **बूथ छोड़ने से पहले गिरफ़्तार** कर सकते हैं, या पुलिस को गिरफ़्तार करने को कह सकते हैं।
2. उसकी **तलाशी** ले सकते हैं या पुलिस से करवा सकते हैं। किसी महिला की तलाशी दूसरी महिला ही लेगी, पूरी शालीनता से।
3. तलाशी में मिला मतपत्र मतदान अधिकारी **पुलिस को सुरक्षित रखने के लिए** सौंपें; तलाशी पुलिस ने ली हो तो पुलिस अधिकारी उसे सुरक्षित रखेगा।

साथ में

> पूरी घटना **उसी समय डायरी** में लिखिए; पंच-सरपंच की डायरी अलग होती है: परिशिष्ट-23-B। [पृ. 21]

> मतदाता मतपत्र सही मतपेटी में ही डाले, यह देखना मतदान अधिकारी का काम है। [पृ. 9]

6 मतदाता की पहचान पर आपत्ति

पहला सहायक मतदान अधिकारी (पहचान) [पृ. 9]

> मतदाता फ़ोटो पहचान पत्र माँगिए; वह न हो तो आयोग का बताया (परिशिष्ट-22) कोई दस्तावेज़। उसी से पहचान तय कीजिए।

> फिर हर मतदाता की प्रविष्टि **ज़ोर से बोलिए**, ताकि बैठे उम्मीदवार और अभिकर्ता सुन लें।

> पहचान पर आपत्ति **इसी सहायक मतदान अधिकारी के पास** हो सकती है, उसके बाद नहीं।

> पहचान पर्ची न लाए तो भी नाम ढूँढिए; पर्ची न होने से मतदाता को लौटाइए नहीं।

पंचायत चुनाव में [पृ. 20]

1. न कोई चैलेंज लिस्ट बनेगी, न चैलेंज फ़ीस।
2. न कोई दस्तावेज़ दिखाए, न पूछे गए सवालों का जवाब दे, तो **मतपत्र नहीं** मिलेगा।
3. मतदाता सूची में छपाई की गलती हो, तो वोट से मना न करें।
4. पहचान पक्की हो जाए तो उसे वोट से नहीं रोका जा सकता। "यहाँ का निवासी नहीं" या "18 से कम है" जैसी अपात्रता की आपत्ति पर मतदान अधिकारी नियम 37 में जाँच नहीं कर सकते।

7 मतदाता की उम्र कम लगे

जिसका नाम मतदाता सूची में है, उसे क़ानूनन वोट का हक़ है। पहचान और सूची में नाम पर आपको भरोसा हो, पर उम्र कम लगे, तो [पृ. 20]

1. पहले उसे बताइए कि झूठी घोषणा पर **राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 18-क** में सज़ा है। [पृ. 21]
2. फिर उससे **परिशिष्ट-13** में घोषणा लीजिए: सूची जिस 1 जनवरी के हिसाब से बनी या दोहराई गई, उस दिन उसकी उम्र कितनी थी। [पृ. 20]
3. ऐसे मतदाताओं की सूची **परिशिष्ट-14** में; उसके **भाग II** में वे, जो घोषणा से मना करके बिना वोट डाले चले गए। [पृ. 21]
4. मतदान के बाद घोषणाएँ और सूची **लिफ़ाफ़ा P-1** में; यह लिफ़ाफ़ा **सील नहीं** होगा। [पृ. 21]

8 दृष्टिबाधित या दिव्यांग मतदाता, और लाइन

नियम 41: मतदान अधिकारी साथ जाएँ

दृष्टिबाधित या दिव्यांग मतदाता कहे, तो मतदान अधिकारी वोटिंग कम्पार्टमेंट में जाकर उसकी मर्ज़ी से निशान लगाएँ और मतपत्र मतपेटी में डाल दें। इसका कोई फ़ॉर्म नहीं; मतदाता सूची में उसके नाम के आगे दो अक्षर **"AA"** लिखिए। [पृ. 19]

लाइन और पहले प्रवेश

पुरुष और महिला की अलग-अलग लाइन; एक बार में तीन-चार मतदाता ही अंदर। दिव्यांग, बुज़ुर्ग और गोद में बच्चे वाली महिलाएँ लाइन से पहले; दिव्यांग को अंदर आने में मदद कीजिए। इसका प्लेकार्ड साफ़ दिखने वाली जगह पर। [पृ. 21]

9 बूथ पर कोई गड़बड़ करे या कहना न माने

नियम 45: बूथ से बाहर [पृ. 19]

1. कोई बूथ पर दुर्व्यवहार करे, या RO, मतदान अधिकारी या किसी सहायक मतदान अधिकारी का जायज़ आदेश न माने, तो **RO या मतदान अधिकारी** उसे बूथ से बाहर कर देंगे।
2. हटाया गया व्यक्ति **फिर अंदर नहीं** आ सकेगा।
3. पर यह किसी को **वोट डालने से रोकने के लिए** न किया जाए।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में [पृ. 49]

> **धारा 132:** बाहर मतदान अधिकारी, पुलिस, या मतदान अधिकारी का अधिकृत व्यक्ति कर सकता है; बिना इजाज़त फिर अंदर आए, तो तीन महीने तक की सज़ा।

> **धारा 131:** बूथ में या उसके पास शोर-शराबा या उपद्रव करे, तो तीन महीने तक की सज़ा; मतदान अधिकारी पुलिस से गिरफ़्तार करवा सकते हैं।

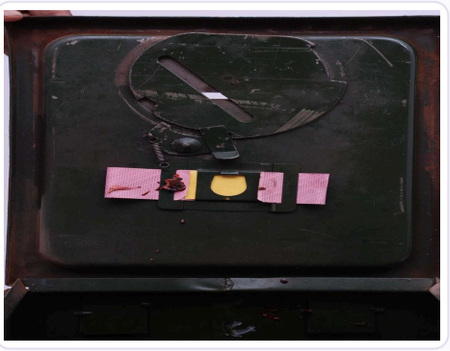
> नियम 24-क में बताए लोगों के अलावा किसी और को बूथ से बाहर करना भी मतदान अधिकारी का काम है। [पृ. 9]

10 मतदान बंद होने का समय हो जाए, लाइन बाकी हो

तय समय पर मतदान अधिकारी बाहर आकर लाइन में खड़े सब मतदाताओं को **अपने हस्ताक्षर की पर्ची** दें। नंबर **लाइन के आख़िरी व्यक्ति से 1** से शुरू करें। ये लोग तय समय के बाद भी वोट डाल सकेंगे, और तय समय के बाद कोई नया व्यक्ति लाइन में नहीं जुड़ सकेगा। [पृ. 21] बाँटी गई पर्चियाँ और आख़िरी वोट का समय डायरी में भी लिखिए। [पृ. 125]

11 दूसरी मतपेटी लगानी पड़े

1. नई मतपेटी भी उम्मीदवारों और अभिकर्ताओं के सामने **ख़ाली दिखाकर** उसके ख़ाली होने की घोषणा फिर से कीजिए। [पृ. 19]
2. **परिशिष्ट-21 का भाग-2** भरिए: दूसरी (या तीसरी) मतपेटी अभिकर्ताओं और बाकी मौजूद लोगों को ख़ाली दिखाई; उसकी पेपर सील पर हस्ताक्षर किए और जो अभिकर्ता चाहें उनके भी करवाए; जिन अभिकर्ताओं ने हस्ताक्षर नहीं किए, उनके नाम भी। [पृ. 118]
3. लेबल: दो मतपेटियाँ हों तो पहली पर **1/2** और दूसरी पर **2/2**; ज़्यादा हों तो इसी तरह आगे। [पृ. 18]
4. डायरी का बिंदु (28) पूछता है कि दूसरी या तीसरी मतपेटी की घोषणाएँ हुईं या नहीं। [पृ. 125]



मतपेटी का ढक्कन, अंदर से: पिंक पेपर सील बीच वाले फ्रेम में से होकर लगी है · फ़ोटो: SLMT प्रशिक्षण सामग्री (मतदान अधिकारी), पेज 38

12 मतपेटी खराब हो, खो जाए, तोड़-फोड़ या बूथ कैप्चरिंग

क्या हुआ	क्या करें
मतदान रोकना पड़े (नियम 48)	सिर्फ़ ख़ास हालात में। रोकना पड़े तो RO तुरंत **ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)** को बताएँ; आगे का काम उनके निर्देश पर। [पृ. 40]
मतपेटी गलती से या जान-बूझकर खराब, खो जाए, या तोड़-फोड़ (नियम 48-क)	इससे बूथ के मतदान का नतीजा बिगड़े, तो पूरी बात **डायरी** में; RO तुरंत ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को रिपोर्ट भेजें। [पृ. 40] [41]
मतदान की प्रक्रिया में चूक या अनियमितता	जिससे मतदान दूषित हो जाए: RO तुरंत ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को रिपोर्ट भेजें। [पृ. 41]
बूथ कैप्चरिंग (नियम 48-ख)	रिपोर्ट ऊपर वाले तरीके से ही। [पृ. 41]
छोटी-मोटी घटना	ऐसी रिपोर्ट **न भेजें**; डायरी में सही जगह लिख लें। [पृ. 41]

रिपोर्ट कौन भेजे, उसमें क्या हो

पंच-सरपंच चुनाव में रिपोर्ट **RO** भेजते हैं, रिटर्निंग अधिकारी की हैसियत से। रिपोर्ट में: बूथ का नाम, वार्ड संख्या, पंचायत समिति और ज़िला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या, और घटना का ब्योरा; साथ में साफ़ सिफ़ारिश कि दोबारा मतदान क्यों ज़रूरी है। रिपोर्ट साफ़ हो, क्योंकि अस्पष्ट रिपोर्ट पर कार्यवाही नहीं हो पाती। [पृ. 41]

रिपोर्ट भेजने के बाद

दोबारा मतदान की सिफ़ारिश वाली रिपोर्ट भेजने पर RO वोटों की गिनती भी रोक देंगे; आगे का काम राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद ही। तब तक मतदान दल अपने कागज़ात सील करके ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के पास जमा कराए। [पृ. 41]

13 डायरी और लिफ़ाफ़े

डायरी: परिशिष्ट-23-B

> पंच-सरपंच की डायरी अलग होती है। कोई अचानक या अनचाही घटना हो, तो **उसी समय** लिखिए। [पृ. 21]

> बिंदु (20)–(29) में: तय समय तक पड़े वोट; बंद होने पर बाँटी पर्चियाँ और आख़िरी वोट का समय; अपराध, जैसे किसी और के नाम से वोट; बलवा, हिंसा या प्राकृतिक आपदा से रुकावट; मतपेटी छीनी गई, खोई या नष्ट हुई; मतदान दल की चूक; दूसरी-तीसरी मतपेटी की घोषणाएँ। [पृ. 125]

> गिनती के समय डायरी मतपेटी के साथ **लिफ़ाफ़ा P-43** में RO को। [पृ. 125]

हर बूथ पर, सील लिफ़ाफ़े	पंच	सरपंच
अप्रयुक्त मतपत्र	**P-4**	**P-3**
चिह्नित मतदाता सूची	**P-5**	**P-6**
खराब-रद्द मतपत्र (नियम 42)	**P-13**	**P-12**
निविदत्त मतपत्र और उनकी सूची	**P-17**	**P-16**

मतपेटियों के साथ, पर उनसे अलग, RO को। [पृ. 23] [परिशिष्ट-15, पृ. 110] उम्र वाली घोषणाएँ और सूची: P-1, सील नहीं। [पृ. 21] निविदत्त वाले नंबर पृ. 20 और 23 के पाठ में उलटे छपे हैं: स्रोतों में फ़र्क

साइट पर पूरा ब्योरा: मतपेटी तैयार करना · मतदान के दौरान · बंद करना और लिफ़ाफ़े · कुछ गड़बड़ हो जाए तो · ड्यूटी पर लागू क़ानून

स्रोत [] वाले पेज छूने पर मार्गदर्शिका ठीक उसी पेज पर खुलती है (MockPoll पर रखी प्रति); पेज नंबर किताब पर छपे वाले हैं

- राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान: "पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, रिटर्निंग अधिकारियों एवं मतदान अधिकारियों के लिये मार्गदर्शिका (जहाँ मतदान मतपेटी से होगा) 2026"। इस्तेमाल हुए पेज: 4, 9, 15–16, 18–23, 40–41, 49–50, 57 और परिशिष्ट-15, 21, 23-B, 26, 28 (पृ. 110, 118, 125, 129, 131)।
- फ़ोटो: SLMT प्रशिक्षण सामग्री, पंच-सरपंच चुनाव, मतदान अधिकारी वाली प्रस्तुति, पेज 35, 37 और 38।